तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	
	न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर **अपील संख्या– 25/2019 अंतर्गत धारा–75 एल.आर.एक्ट** **अनवानः** 1. रणजीत सिंह 2. सरताज सिंह पिसरान गुरलाल सिंह जाति जटसिख, निवासी चक 82 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। बनाम 1. अमरजीत सिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति जटसिख निवासी 82 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. लखविन्दर सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी निवासी 82 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।	
15.03.2021	आज यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांट श्री नायब सिंह के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने हमारे समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनवान की अपील में आगे चलाने की हिदायत पैरवी नहीं है। अभिभाषक इसमें आगे पैरवी नहीं करना चाहते है। अतः उक्त अपील अभिभाषक अपीलांट NOT PRESS के आधार पर खारिज कराना चाहते है। हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश दिनांक 18.03.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अभिभाषक अपीलांट हिदायत पैरवी नहीं होने के कारण इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं NOT PRESS करना चाहते है। अतः यह अपील अपीलांट जरिये NOT PRESS इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। संभागीय आयुक्त बीकानेर	